UPME010070322018

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-01, मेरठ।
उपस्थित :- राकेश कुमार- पंचम ... ... (एच०जे०एस०)
(JO Code No- UP-6155)

सत्र परीक्षण सं०-454 सन् 2018

राज्य बनाम जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा
निवासी-ग्राम सरगाँव, थाना मन्ड़ार
जनपद राँची, झारखण्ड़ राज्य
....
धारा :- 302 भा०दं०सं०
मु०अ०सं० :- 267 सन् 2018
थाना :- सरधना, जिला मेरठ।
....

उपस्थित :- राज्य की ओर से विद्वान सहा० जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) श्री शिवम गुप्ता
अभियुक्त जीतू किस्पोटा की ओर से विद्वान चीफ लीगल ऐड़ ड़िफेन्स काउन्सिल श्रीमती रेखा जैन(एडवोकेट)

निर्णय

1- अभियुक्त जीतू किस्पोटा का **सत्र परीक्षण सं०-454 सन् 2018**, मु०अ०सं०-267 सन् 2018, धारा 302 भा०दं०स० के अन्तर्गत थाना सरधना, जिला मेरठ के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर विचारण किया गया है।

2-

क्रम संख्या	घटना की दिनांक	घटना का विवरण
(I)	दिनांक – 12/13.02.2018 समय – 00:00 बजे	अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा इरफान पुत्र शफीक के द्वारा दिनांक 13.02.2018 को समय 08:49 बजे, थाना सरधना, जिला मेरठ पर एक लिखित तहरीर राहुल चौहान पुत्र सुनील कुमार से लिखाकर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि मैं इरफान पुत्र शफीक, निवासी ग्राम मिलक, थाना सरधना, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरा

		भाई शमीम उम्र 25 वर्ष, राज गार्ड़न में मजदूरी का काम करता था। वहाँ पर एक और मजदूर जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा, निवासी झारखण्ड़ भी काम करता था। मैं भी वहीं पर काम करता हूँ। दिनांक 12/13.02.2018 की रात्रि में मैं जब राज गार्ड़न में गया तो जीतू किस्पोटा मेरे भाई शमीम से झगड़ा कर रहा था। उसके हाथ में फावड़ा था। उसने मेरे सामने ही मेरे भाई के सिर पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिये और मेरे भाई की हत्या कर दी। मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो रात का वक्त होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर फावड़ा गिराकर मौके से फरार हो गया है। उसे काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। अतः मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।
(II)	दिनांक 13.02.2018 समय 08:49 बजे	उक्त तहरीर के आधार पर थाना सरधना, जिला मेरठ पर मु०अ०सं०–267 सन् 2018, धारा 302 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रश्नगत अभियुक्त जीतू किस्पोटा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण का अन्वेषण आरम्भ किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा उसका नक्शा–नजरी तैयार किया एवं गवाहान के बयान लेखबद्ध किये।
(III)	प्रसंज्ञान की तिथि 01.05.2018	विवेचक द्वारा उपरोक्त प्रकरण की विवेचना पूर्ण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा के विरूद्ध धारा 302 भा०दं०स० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा **न्यायिक संज्ञान** लिया गया, अभियुक्त को तलब किया गया, उसके न्यायालय हाजिर आने पर उसे धारा 207 जा०फौ० के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की नकले दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रकरण अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०स० को **उपार्पण आदेश दिनांकित 15.05.2018** के माध्यम से **सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।** विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुक्रम में उक्त सत्र परीक्षण अन्तरण के माध्यम से इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
(IV)	**आरोप विरचन की तिथि 30.05.2019**	अभियुक्त जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा के न्यायालय हाजिर आने पर इस न्यायालय के विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 302 भा०दं०स० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य</u>

(V)	

	प्रदर्श क-01	लिखित तहरीर
	प्रदर्श क-02	गिरफ्तारी की फर्द
	प्रदर्श क-03	फर्द बरामदगी बाबत मिट्टी सादा, खून आलूदा व आलाकत्ल एक अदद फावड़ा
	प्रदर्श क-04	पंचायतनामा
	प्रदर्श क-05	शव विच्छेदन आख्या
	प्रदर्श क-06	चिक एफ०आई०आर०
	प्रदर्श क-07	कायमी मुकदमा जी०डी०
	प्रदर्श क-08	चिट्ठी आर०आई०
	प्रदर्श क-09	चिट्ठी सी०एम०ओ०
	प्रदर्श क-10	आरक्षक प्रपत्र फार्म सं०-13
	प्रदर्श क-11	फोटोनाश
	प्रदर्श क-12	नमूना मोहर
	प्रदर्श क-13	नक्शानजरी बाबत घटनास्थल
	प्रदर्श क-14	फर्द बरामदगी बाबत लेने कब्जा खून से सनी एक शर्ट
	प्रदर्श क-15	नक्शानजरी बाबत बरामदगी स्थल
	प्रदर्श क-16	आरोप पत्र
	प्रदर्श क-17	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा को प्रेषित पत्र
	कागज सं०-13 ख/01	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० आगरा, की रिपोर्ट

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य</u>

(VI)	वस्तु प्रदर्श-01	फावड़ा
	वस्तु प्रदर्श-02	कपड़ा जिसके अन्दर से फावड़ा निकला
	वस्तु प्रदर्श-03	अंड़रवियर
	वस्तु प्रदर्श-04	चहक की नीली शर्ट
	वस्तु प्रदर्श-05	ओरेंज रंग की पट्टी वाली जैकेट
	वस्तु प्रदर्श-06 व 07	दो जुराबे
	वस्तु प्रदर्श-08	बैल्ट जिस पर ट्यूबलाईट लिखा है
	वस्तु प्रदर्श-09	नीले रंग की पैंट
	वस्तु प्रदर्श-10	एक सफेद कपड़ा जिस पर विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजने की चिट लगी है,
	वस्तु प्रदर्श-11	एक सफेद कपड़ा जिस पर मृतक के कपड़े सील करके प्रयोगशाला भेजे गए थे,
	वस्तु प्रदर्श-12	सफेद रंग का कपड़ा जिसके अन्दर से आसमानी रंग की शर्ट निकली

	वस्तु प्रदर्श-13	आसमानी रंग की शर्ट
	वस्तु प्रदर्श-14 व 15	दो कपड़े जिनके अन्दर से 02 ड़िब्बियाँ निकली
	वस्तु प्रदर्श-16-17	02 ड़िब्बियाँ
	वस्तु प्रदर्श-18	खून आलूदा मिट्टी की पन्नी
	वस्तु प्रदर्श-19	सादा मिट्टी की पन्नी

<u>अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य</u>

(VII)		
	पी०डब्लू०-01	इरफान
	पी०डब्लू०-02	सरताज
	पी०डब्लू०-03	ड़ा० राजीव कुमार गुप्ता
	पी०डब्लू०-04	है०कॉ० 135 फत्तेलाल
	पी०डब्लू०-05	एस०एस०आई० मुकेश कुमार
	पी०डब्लू०-06	इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राठौर

(VIII)	दिनांक 01.07.2026	**अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।** धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान में अभियुक्त की ओर से उसे प्रश्नगत मामले में झूठा फंसाए जाने का कथन करते हुए उसके विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर तहरीर प्रस्तुत किए जाने, झूठी व गलत बरामदगी दिखाये जाने एवं विवेचक द्वारा सभी तथ्यों का पता लगाए बिना ही दोषपूर्ण विवेचना के आधार पर गलत ढ़ंग से विवेचना करते हुए गलत कागज साबित किये जाने का कथन किया गया है।

3– अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-01 इरफान पुत्र शफीक जोकि प्रश्नगत प्रकरण की घटना का वादी मुकदमा व मृतक शमीम का भाई है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं गांव मिलक का रहने वाला हूं। मैं व मेरा भाई शमीम राज गार्डन में मजदूरी का काम करते थे, वहां पर एक अन्य मजदूर जो हाजिर अदालत जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा निवासी झारखंड भी मजदूरी का कार्य करता था। दिनांक 12/13 फरवरी 2018 की रात्रि में जब मैं राज गार्डन में गया तो समय करीब 10:00 से 11:00 के बीच हाजिर अदालत मुल्जिम जीतू किस्पोटा मेरे भाई शमीम के साथ झगड़ा कर रहा था। जीतू किस्पोटा के हाथ में फावड़ा था। उसने मेरे सामने ही मेरे भाई समीर के सिर पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए व मेरे भाई शमीम की हत्या कर दी। मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो रात का वक्त होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर फावड़ा छोड़कर मौके से फरार हो गया था। मैंने उसे काफी तलाश किया परंतु वह नहीं मिला। उक्त घटना की रिपोर्ट की तहरीर मैंने राहुल चौहान पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम टेहरकी, थाना सरधना, जिला मेरठ से लिखवाई थी। राहुल चौहान ने तहरीर मुझे पढ़कर सुना दी थी तब मैंने तहरीर

पर अपने हस्ताक्षर करके दिनांक 13.02.2018 को थाने पर दी थी। मेरी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर दाखिल उक्त लिखित तहरीर को कागज सं०-04 अ/3 के रूप शिनाख्त करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त तहरीर को प्रदर्श क-01 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 04.02.2018 को मुझे सूचना मिली थी कि जिस व्यक्ति ने राज गार्डन में शमीम की हत्या की है, उसे पब्लिक ने घेर घोट कर पकड़ रखा है। मैं भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गया था वहां काफी लोग मौजूद थे। थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मेरे सामने पुलिस ने हाजिर अदालत अभियुक्त जीतू किस्पोटा को गिरफ्तार किया था तथा पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी की फर्द उसके सामने तैयार की थी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी की उक्त फर्द को कागज सं०-07 अ/2 के रूप तस्दीक करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त फर्द को प्रदर्श क-02 के रूप में साबित करते हुए अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 13.02.2018 को एस०एस०आई० मुकेश कुमार ने घटनास्थल पर जाकर मेरे सामने मृतक शमीम के शव से संबंधित सादा मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी व एक फावड़ा आलाकत्ल मेरे व सरताज के सामने घटनास्थल से बरामद किए थे। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध उक्त फर्द बरामदगी को कागज सं०-07 अ/3 के रूप तस्दीक करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-03 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 13.02.2018 को ही पुलिस ने मेरे में अन्य लोगों के सामने घटनास्थल पर मृतक शमीम के शव का पंचायतनामा तैयार किया था। मृतक के शव को सील सर्वे मोहर किया गया था। एस०एस०आई० मुकेश कुमार ने मेरे में अन्य पंचाग वसीम, राशिद, प्रवेज व रईस के सामने पंचायतनामा तैयार किया था जिसमें मृतक के शव की दशा, शव का हुलिया, कपड़े व सिर पर लगी चोटों का विवरण भी लिखा था। पंचायतनामा भरने के पश्चात मुझे व अन्य लोगों को पढ़कर सुनाया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पंचायतनामे को कागज सं०-09 अ/1 के रूप तस्दीक करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त पंचायतनामें को प्रदर्श क-04 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 13.02.2018 को ही दरोगाजी ने इस घटना के सम्बन्ध में मेरे से पूछताछ करके मेरा बयान लिखा था। मैनें दरोगाजी को घटनास्थल दिखाते हुए सभी बाते बतायी थी जो मैंने घटना स्वयं अपनी आँखों से देखी थी।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

4- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-02 सरताज पुत्र सफीक उर्फ सफीकुद्दीन, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 12/13.02.2018 की रात 09:00/ 09:15 की है। शोर शरावे की आवाज पर हम लोग भागकर राज गार्ड़न आम के बाग में पहुँचे तो देखा कि हाजिर अदालत मुल्जिम जीतू किस्पोटा जो मृतक शमीन के साथ ही काम करता था, अपने हाथ में फावड़ा लिए हुए शमीम के पास खड़ा था व मृतक लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था। हम लोग जीतू को पकड़ने के लिए दौड़े तो जीतू फावड़े को बाग के अन्दर भाग गया। रात का समय था। अंधेरे की वजह से जीतू को हम पकड़ नहीं सके। हाजिर अदालत जीतू ने मेरे सामने ही शमीम की हत्या की थी। घटना के सम्बन्ध में

पुलिस ने मेरे से पूछताछ की थी।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

5- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-03 ड़ा० राजीव कुमार गुप्ता, वरिष्ठ परामर्शदाता जिला अस्पताल बरेली, जिसके द्वारा मृतक शमीम का शव-विच्छेदन किय गया है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं दिनांक 03.02.2018 को उपरोक्त प्रार्थी पर जिला मेरठ के पद पर तैनात था लेकिन उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाऊस पर लगी थी। मुझे उस दिनांक को 03.05 पी०एम० पर शमीम पुत्र शफीक उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मिलक, थाना सरधना, जिला मेरठ का शव सील अवस्था में मय सम्बन्धित कागजात के कॉ० अवधेश व कॉ० नरदेव, थाना सरधना द्वारा प्राप्त कराए गए थे। शव की शिनाख्त मृतक के चाचा सफीक व चचेरे भाई युनुश के द्वारा की गई थी। शव विच्छेदन के समय मैंने बाह्य परीक्षण पर पाया कि शव पर मृत्यु पश्चात मृतक के शरीर पर पूर्व अकड़न मौजूद थी। मेरी राय में मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय आधे दिन से एक दिन के बीच का था तथा मृतक की मृत्यु का कारण शव पर आई मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण कोमे के कारण हुई थी। मृतक की मृत्यु दिनांक 02.02.2018 को रात्रि समय करीब 10/11.00 बजे होना सम्भव है। मृतक के शरीर पर जो चोटें पाई गई थी, वह फावड़े की मूज से आना सम्भव है। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध उक्त शव-विच्छेदन आख्या को कागज सं०-10 अ/1 के रूप शिनाख्त करते हुए उक्त शव विच्छेदन आख्या को उसके लेख व उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त शव विच्छेदन आख्या को प्रदर्श क-05 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

6- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू–04, है० कॉ० फत्तेलाल, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 13.02.2018 को मैं थाना सरधना पर बतौर सी०सी० तैनात था, उपरोक्त दिनांक को समय 08:49 बजे वादी इरफान पुत्र शफीक, निवासी ग्राम मिलक, थाना सरधना, जिला मेरठ के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर चिक कम्प्यूटर ऑपरेटर लोकेश सिंह से बोल बोलकर टाईप कराके मु०अ०सं०-267 सन् 2018, धारा 302 भा०दं०सं० बनाम जीतू किस्पोटा पंजीकृत किया था। मुकदमा कायमी का खुलासा जी०डी नं०-18 दिनांक 13.02.2018 समय 08:49 बजे में किया गया था। जी०डी भी कम्प्यूटर ऑपरेटर से ही टाईप करायी गई थी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध चिक एफ०आई०आर व कायमी मुकदमा जी०ड़ी० को क्रमशः कागज सं०-04 अ/1 ता 04 अ/1 व कागज सं०-6 अ/1 के रूप तस्दीक करते हुए चिक एफ०आई०आर को प्रदर्श क-06 तथा कायमी मुकदमा जी०ड़ी० को क्रमशः प्रदर्श क-07 के रूप में साबित किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

7- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०–05 एस०एस०आई० मुकेश कुमार के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है किदिनांक 13.02.2018 को मैं थाना सरधना पर

बतौर एस० एस० आई० तैनात था। उक्त दिनांक को मैंने मृतक शमीम पुत्र शफीक के शव का पंचायतनामा समय 09:40 बजे गांव मिलक के पास घटनास्थल पर जाकर पंच नियुक्त करके भरा था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से कागज सं०- 9 अ/1 ता 9 अ/2 के रूप में उक्त पंचायतनामें की शिनाख्त करते हुए उक्त पंचायतनामें को उसके लेख व उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त पंचायतनामें को पूर्व में प्रदर्श क-04 के रूप में साबित किये जाने के कथन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि पंचायतनामें के साथ सम्बन्धित कागजात रिपोर्ट आर०आई०, रिपोर्ट सी०एम०ओ०, चालाननाश, फोटोनाश, नमूना मोहर भी मेरे द्वारा तैयार किये गये थे। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर दाखिल पंचायतनामें से सम्बन्धित उक्त प्रपत्रों को कागज सं० 9 अ/6 ता 9 अ/10 के रूप में शिनाख्त करते हुए उक्त प्रपत्रों को उसके लेख में होने तथा उन पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए रिपोर्ट आर०आई० को प्रदर्श क-08, रिपोर्ट सी०एम०ओ० को प्रदर्श क 09, चालाननाश को प्रदर्श क-10, फोटोनाश को प्रदर्श क-11 व नमूना मोहर को प्रदर्श क-12 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि शव को सील मोहर करके मय सम्बन्धित कागजाक के पोस्टमार्टम हेतु हिदायत देते हुये कांस्टेबल अवधेश व कांस्टेबल नरदेव को ग्यारह बजे सुपूर्द किया था।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

8- अभियोजन साक्षी पी०ड्ब्लू०-06 इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह राठौर जोकि प्रश्नगत प्रकरण का विवेचक है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 13.02.2018 को मैं बतौर थानाध्यक्ष, थाना सरधना, जिला मेरठ पर तैनात था। थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं०-267 सन् 2018, धारा 302 भा०दं०सं० मुकदमा वादी इरफान पुत्र शफीक निवासी मिलक के हस्ताक्षरित एक किता तहरीर के आधार पर उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मेरे द्वारा दिनांक 13.02.2018 को नकल चिक व नकल रपट प्राप्त करके विवेचना गृहण की गयी। मेरे द्वारा मुकदमा वादी के बयान दर्ज किये गये तथा मुकदमा वादी द्वारा घटना की पुष्टि करते हुये अपनी निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कराया। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर दाखिल कागज सं०-8 अ/1 को नक्शानजरी बाबत घटनास्थल के रूप में शिनाख्त करते हुए उक्त नक्शानजरी को उसके लेख व उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त नक्शानजरी को प्रदर्श क-13 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि उसके बाद मेरे सामने एस० एस० आई० मुकेश कुमार द्वारा मौके से आला कत्ल फावड़ा व मिट्टी सादा तथा मिट्टी खून आलूदा बरामद की गयी जिसकी फर्द मौके पर ही मेरे सामने एस० एस० आई० मुकेश कुमार द्वारा तैयार की गयी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से उक्त फर्द बरामदगी को पूर्व में प्रदर्श क-03 के रूप में साबित किये जाने का कथन करते हुए अग्रेतर बताया गया है कि इसके बाद मेरे द्वारा एस० एस० आई० मुकेश कुमार को पंचायतनामे की कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। पंचायतनामें की कार्यवाही एस० एस० आई० मुकेश कुमार द्वारा की गयी। अभियुक्त की निशानदेही पर दौराला पुल से खिर्वा जाने वाले रास्ते पर पीपल के पेड़ के पास कूड़े व पत्ते के ढेर से घटना वाले दिन पहनी हुयी शर्ट जिस पर मृतक के खून के निशान भी थे, बरामद करायी गयी जिस सम्बन्ध मे मौके पर फर्द व नक्शा नजरी तैयार की गयी। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०-7 अ/01 व 08 अ/02 को क्रमशः फर्द बरामदगी बाबत घटना के दिन अभियुक्त द्वारा पहनी गई शर्ट तथा नक्शानजरी

बाबत बरामदगी स्थल के रूप में शिनाख्त करते हुए उक्त फर्द बरामदगी व नक्शानजरी को उसके हस्तलेख में होने का कथन करते हुए फर्द बरामदगी को क्रमशः प्रदर्श क-14 तथा नक्शानजरी बाबत बरामदगी स्थल को प्रदर्श क-15 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि दिनांक 15.03.2018 को साक्ष्य संकलन एवं गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त जीतू किस्पोटा के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-111 सन् 2018 प्रेषित किया गया। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर दाखिल कागज सं०-03अ/1 लगायत 3अ/02 को आरोपपत्र के रूप में शिनाख्त करते हुए उक्त आरोपपत्र को प्रदर्श क-16 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि घटना के बाबत अभियुक्त से बरामद फावड़ा, खून आलुदा मिट्टी, सादा मिट्टी, अभियुक्त की कमीज, पार्चाजात सील सर्वे मोहर करके मेरे द्वारा नियमानुसार विधिविज्ञान प्रयोगशाला आगरा को सी०ओ० सरधना द्वारा प्रेषित कराया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पत्रावली पर दाखिल कागज सं०-12अ/01 को विधिविज्ञान प्रयोगशाला को प्रश्नगत मुकदमें से सम्बन्धित वस्तुओं का परीक्षण कर परिणाम से अवगत कराए जाने हेतु प्रेषित पत्र के रूप में शिनाख्त करते हुए उस पर उसके हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए उक्त पत्र को प्रदर्श क-17 रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि अभियुक्त जीतू किस्पोटा से बरामद माल का पुलिन्दा एक सफेद कपडे में लिपटा हुआ सर्वे शील मोहर लगा हुआ न्यायालय की अनुमति से गया। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से पुलिन्दे के अंदर से निकले फावड़े को वस्तु प्रदर्श-01, कपडे को वस्तु प्रदर्श-02, अंडरवियर को वस्तु प्रदर्श-03, चहक की नीली शर्ट को वस्तु प्रदर्श 04, ओरेंज रंग की पट्टी वाली जैकेट को वस्तु प्रदर्श-05, दो जुराबों को वस्तु प्रदर्श-06 व 07, बैल्ट जिस पर ट्युबलाईट लिखा है, को वस्तु प्रदर्श-08, नीले रंग की पैंट पर वस्तु प्रदर्श-09, एक सफेद कपडा जिस पर विधिविज्ञान प्रयोगशाला भेजने की चिट लगी है, को वस्तु प्रदर्श-10, एक सफेद कपडा जिस पर मृतक के कपडे सील करके प्रयोगशाला भेजे गए थे, को वस्तु प्रदर्श-11 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि पुलिंदे के अंदर से एक छोटा पुलिंदा सफेद रंग के कपडे में लिपटा हुआ निकला जिसके अंदर से अभियुक्त की आसमानी रंग की शर्ट निकली। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से कपडे को वस्तु प्रदर्श 12, शर्ट को वस्तु प्रदर्श-13 के रूप में साबित करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में अग्रेतर कथन किया गया है कि पुलिंदे के अंदर से दो सफेद रंग के कपडे में लिपटी हुई दो प्लास्टिक की डिब्बियाँ निकली जिस पर विधिविज्ञान प्रयोगशाला का स्टीकर लगा है, मु०अ०सं०-267 सन् 2018 लिखा है, डिब्बियों के कपडे को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-14 व 15, डिब्बियों को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-16 व 17, खून आलुदा मिट्टी की पन्नी को वस्तु प्रदर्श 18, सादा मिट्टी की पन्नी को वस्तु प्रदर्श-19 के रूप में साबित करते हुए सभी माल पुलिंदो, फावड़ा, खुन आलुदा मिट्टी व खुन सादा मिट्टी, मृतक से बरामद कपडे, अभियुक्त से बरामद कमीज की शिनाख्त करते हुए उपरोक्त सामान व आलाकत्ल फावड़े को उसके द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर नियमानुसार बरामद किए जाने का कथन किया गया है।

(I) इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रति परीक्षा की गयी है जिसका उल्लेख निर्णय में यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

9- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता "फौज" एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

10– वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा मुख्य परीक्षा के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैं एवं मेरा भाई शमीम राज गार्डन में मजदूरी का काम करते थे। वहां पर एक अन्य मजूदर जो हाजिर अदालत जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा निवासी झारखण्ड भी मजदूरी का कार्य करता था "। इस प्रकार पी0डब्लू–इरफान के द्वारा स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि राजगार्डन पर वह और उसका मृतक भाई शमीम मजदूरी का कार्य करते थे तथा साथ ही साथ अभियुक्त भी काम करता था लेकिन उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा यह बिल्कुल भी नही बताया गया है कि पी0डब्लू–1 इरफान का एक और भाई पी0डब्लू–2 सरताज भी राजगार्डन पर मजदूरी का काम करता था। इसके अलावा सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में पी0डब्लू–1इरफान के द्वारा यह नही बताया गया है कि उसका भाई सरताज भी राजगार्डन में मजदूरी का काम करता था। इसके अलावा प्रति परीक्षा के पृष्ठ–5 पर वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मेरा भाई मृतक शमीम राजगार्डन में मजदूरी करता था। राजगार्डन में मालिक देवराज ने मकान नही बना रखा है। मृतक शमीम के साथ मैं भी मजदूरी करता था। हम दोनों भाई मैं व मेरा भाई मृतक शमीम पिछले 13–14 वर्षो से राजगार्डन में काम करते थे "। इस प्रकार प्रकार प्रति परीक्षा में भी वादी पी0डब्लू–1इरफान के द्वारा यह नही बताया गया है कि उसका भाई सरताज भी पी0डब्लू–1 एवं मृतक शमीम के साथ राजगार्डन में मजदूरी का काम करते थे। इसके अलावा सम्पूर्ण प्रति परीक्षा में भी वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा यह नही बताया गया है कि उसका भाई सरताज भी उसके साथ राजगार्डन पर मजदूरी का काम करता था। इसके अलावा प्रति परीक्षा में पृष्ठ–6 पर वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " हम दोनों भाई अपने गांव से मजदूरी करने वहां पर जाते थे। हम दोनों भाई सुबह 7:00 बजे राजगार्डन जाते थे व शाम को 6:00 बजे आते थे। आम के सीजन में रात को 8–10 भी बज जाते थे। मुनीम,वसीम भी हमारे गांव का है व गांव से रोज आता जाता था। राजगार्डन में मुल्जिम जीतू किस्पोटा रात–दिन रहता था "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा बताया गया कि वादी पी0डब्लू–1 इरफान एवं मृतक अपने गांव से मजदूरी करने राजगार्डन जाते थे तथा गांव के मुनीम व वसीम भी साथ में मजदूरी करने जाते थे लेकिन वादी पी0डब्ल–1 इरफान के द्वारा यह बिल्कुल भी नही बताया गया है कि सरताज भी राजगार्डन पर काम करने के लिये जाता था तात्पर्य यह है कि यदि सरताज भी राजगार्डन पर काम करने के लिये मृतक एवं वादी पी0डब्लू–1 के साथ जा रहा होता तो वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा या सम्पूर्ण प्रति परीक्षा में ऐसा अवश्य बताया गया होता लेकिन वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नही बताया गया है,भले ही प्रति परीक्षा में वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा यह बताया गया है कि गांव के मुनीम एवं वसीम भी मजदूरी करने के लिये उसके साथ राजगार्डन पर जाया करते थे।

11– इसके अलावा वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा मुख्य परीक्षा के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " दिनांक 12/13 फरवरी–2018 की रात्रि में जब मैं राजगार्डन में गया तो समय करीब 10–11 बजे हाजिर अदालत मुल्जिम जीतू किस्पोर्ट मेरे भाई शमीम के साथ झगड़ा कर रहा था। जीतू किस्पोटा के हाथ में फावड़ा था। उसने मेरे सामने ही मेरे भाई शमीम के सिर पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिये व मेरे भाई शमीम की हत्या कर दी "। इस

प्रकार वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य का परिशीलन करने से यह आसानी से अनुमान निकाला जा सकता है कि घटना के समय वादी पी0डब्लू–1 इरफान घटना का अकेला प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था। यदि अन्य कोई और भी इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रहा होता तो इसकी जानकारी वादी पी0डब्लू–1 इरफान को अवश्य रही होती और वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा साक्ष्य दिया जाता है कि घटना के समय और भी इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रहा है लेकिन वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में ऐसा कुछ नही बताया गया है कि इस घटना का कोई और भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में एंव सम्पूर्ण प्रति परीक्षा में भी ऐसा नही बताया गया है कि इस घटना का कोई और भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था।

12– लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी मृतक शमीम एवं वादी पी0डब्लू–1 इरफान का भाई सरताज पी0डब्लू–2 है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा मुख्य परीक्षा की प्रथम पंक्ति में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " घटना दिनांक 12/13–02–2018 की रात 9/9:15 की है। शोर शराबे की आवाज पर हम लोग भागकर राजगार्डन आम के बाग में पहुंचे तो देखा कि हाजिर अदालत मुल्जिम जीतू किस्पोटा जो मृतक शमीम कें साथ ही काम करता था,अपने हाथ में फावड़ा लिये हुए शमीम के पास खड़ा था व मृतक लहूलूहान अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था "। इस प्रकार पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा दिये गये उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि घटना के समय घटनास्थल पर पी0डब्लू–2 सरताज भी पहुंच गया था। इसके अलावा पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा आगें मुख्य परीक्षा में साक्ष्य इस प्रकार दिया गया है कि " हम लोग जीतू को पकड़ने को दौड़े तो जीतू फावड़े को लेकर बाग के अंदर भाग गया। रात का समय था अंधेरे की वजह से जीतू को हम पकड़ नही पाये। हाजिर अदालत जीतू ने मेरे सामने ही शमीम की हत्या की थी। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरे से पूछताछ की थी "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त ने उसके सामने शमीम की हत्या की थी। इस प्रकार पी0डब्लू–2 सरताज ने भी स्वय को घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना बताया है। लेकिन पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में यह नही बताया गया है कि घटना के समय वादी पी0डब्लू–1 इरफान भी मौजूद था। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि यह कैसे सम्भव है कि 02 लोग किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हों और दोनों ही एक–दूसरे को न देख पायें क्योंकि वादी पी0डब्लू–1 के द्वारा सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में पी0डब्लू–2 सरताज के घटनास्थल पर होने के सम्बन्ध में उसका नाम तक नही लिया गया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था और इसी प्रकार पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा भी सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा में वादी पी0डब्लू–1 इरफान के घ टनास्थल पर होनें के सम्बन्ध में साक्ष्य नही दिया गया है इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि वादी पी0डब्लू–1 इरफान एवं पी0डब्लू–2 सरताज का साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नही है।

13– इसके अलावा पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा घटना दिनांक 12/13 फरवरी,2018 की रात्रि नौ–सवा नौ बजे की बतायी गयी है जबकि वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना दिनांक 12/13 फरवरी,2018 की रात करीब 10–11 बजे की बतायी गयी है। इस प्रकार समय को लेकर वादी पी0डब्लू–1 इरफान एवं पी0डब्लू–2 सरताज के साक्ष्य में विरोधाभास है। यद्यपि

वादी पी0डब्लू–1 के द्धारा मुख्य परीक्षा में घटना का समय करीब 10–11 बजे का बताया गया है किन्तु जिरह के पृष्ठ–8 पर वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्धारा साक्ष्य इस प्रकार दिया गया है कि " घटना लगभग 11:30 बजे रात की है। घ ाटना के समय मैं अपने भाई मृतक शमीम को खाना देने राजगार्डन अकेला ही गया था। घटना के समय अभियुक्त जीतू किस्पोटा व मेरा भाई मृतक शमीम ही वहां पर मौजूद थे। घटना के समय मुनीम,वसीम राधागार्डन पर मौजूद नही थे। मैने घटना बिल्कुल पास से देखी थी "। इस प्रकार वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्धारा उपरोक्त साक्ष्य में घटना का समय रात्रि साढ़े ग्यारह बजे का होना बताया गया है। इस प्रकार घटना के समय को लेकर न केवल दोनों साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है बल्कि वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्धारा मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में दिये गये साक्ष्य में ही विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्धारा स्पष्ट कर दिया गया है कि वह घटनास्थल पर अकेला ही गया था और घटना के समय घटना स्थल पर केवल पी0डब्लू–1 इरफान एवं उसका भाई मृतक शमीम एवं अभियुक्त जीतू किस्पोटा ही मौजूद थे। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि वादी पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज दोनों के साक्ष्य पर विश्वास नही किया जा सकता है क्योंकि पी0डब्लू–2 सरताज के द्धारा भी स्पष्ट साक्ष्य दिया जा रहा है कि उसने भी घटना अपनी आखों से देखी है।

14– इसके अलावा वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्धारा मुख्य परीक्षा में पृष्ठ–2 पर साक्ष्य इस प्रकार दिया गया है कि " मैनें उसे पकड़ने का प्रयास किया तो रात का वक्त होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर फावड़ा छोड़कर मौके से फरार हो गया था "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्धारा साक्ष्य दिया गया है कि उसके द्धारा अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया किन्तु वह अंधेरे का फायदा उठाकर फावड़ा मौके पर छोड़कर फरार हो गया लेकिन इसी बिन्दु पर पी.डब्लू–2 सरताज के द्धारा मुख्य परीक्षा के प्रथम पृष्ठ पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " हम लोग जीतू को पकड़ने को दौड़े तो जीतू फावड़े को लेकर बाग के अंदर भाग गया। रात का समय था अंधेरे की वजह से जीतू को हम पकड़ नही पाये "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 सरताज के द्धारा बताया गया है कि अंधेरे के कारण जीतू को पकड़ नही पाये और जीतू फावड़ा लेकर बाग के अंदर भाग गया। इस प्रकार फावड़े के सम्बन्ध में पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज दोनों के बयानों में गम्भीर प्रकृति का विरोधाभास है क्योंकि वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्धारा साक्ष्य दिया जा रहा है कि अभियुक्त फावड़ा मौके पर छोड़कर भाग गया लेकिन पी0डब्लू–2 सरताज के द्धारा साक्ष्य दिया जा रहा है कि अभियुक्त फावड़ा लेकर बाग के अंदर भाग गया इसलिये बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्धारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि दोनों साक्षीगण के साक्ष्य में आये विरोधाभास के कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

15– इसके अलावा पी0डब्लू–2 सरताज के द्धारा पेज–2 पर अन्तिम चौथी पर पंक्ति पर दिया गया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " घटना वाले दिन मैं व मेरा भाई इरफान वहां पर काम कर रहे थे। मुनीम वहां पर नही था। घटना के समय मैं,मेरा भाई इरफान वहां आम के बाग में पानी कर रहे थे। पानी टयूवबैल से कर रहे थे। बाग से टयूवबैल के बीच 50 मीटर का फासला होगा। घटना के समय मृतक शमीम ठीए पर खाना–पीना जीतू व मृतक शमीम कर रहे थे "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 सरताज के द्धारा बताया गया है कि पी0डब्लू–2

सरताज एवं पी0डब्लू–1 इरफान आम के बाग में पानी लगा रहे थे तथा अभियुक्त एवं मृतक शमीम खाना–पीना कर रहे थे लेकिन इस सम्बन्ध में वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा पृष्ठ–8 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " घटना लगभग 11:30 बजे रात की है। घटना के समय मैं अपने भाई मृतक शमीम को खाना देने राजगार्डन अकेला ही गया था। घटना के समय अभियुक्त जीतू किस्पोटा व मेरा भाई मृतक शमीम ही वहां पर मौजूद थे। घटना के समय मुनीम वसीम राधागार्डन पर मौजूद नही था। मैने घटना बिल्कुल पास से देखी थी "। इस प्रकार वादी पी09डब्लू–1 इरफान के द्वारा उपरोक्त साक्ष्य में कहा जा रहा है कि वादी पी0डब्लू–1 इरफान घटना के समय रात साढ़े ग्यारह बजे मृतक को खाना देने गया था जबकि पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा कहा जा रहा है कि घटना के समय पी0डब्लू–2 सरताज व वादी पी0डब्लू–1 इरफान बाग में पानी लगा रहे थे इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि वादी पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 के साक्ष्य पूर्ण रूप से अविश्वसनीय एवं असत्य हैं क्योंकि यदि घटना के समय वादी पी0डब्लू–1 इरफान अपने मृतक भाई शमीम को रात साढ़े ग्यारह बजे खाना देने गया था तब वह पी0डब्लू–2 सरताज के साथ बाग में पानी कैसे लगा सकता था। यदि पी0डब्लू–2 सरताज के साक्ष्य पर विश्वास किया जाये तो घटना के समय पी0डब्लू–2 सरताज एवं वादी पी0डब्लू–1 इरफान बाग में पानी दे रहे थे तथा अभियुक्त एवं मृतक शमीम का खाना पीना चल रहा था तब वादी पी0डब्लू–1 इरफान को मृतक शमीम के लिये रात में साढ़े ग्यारह बजे खाना लेकर जाने की क्या आवश्यकता थी फिलहाल वादी पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा दी गयी साक्ष्य में इतनी अधिक विसंगतियां एवं विरोधाभास हैं जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

16– इसके अलावा वादी पी0डब्लू–1 इरफान एवं पी0डब्लू–2 सरताज ने अपनी–अपनी साक्ष्य में घटना का समय अलग–अलग बताया है जबकि तहरीर प्रदर्श क–1 मे वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा घटना का समय ही नही खोला गया है। इसके अलावा चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–6 में घटना दिनांक 12/13 फरवरी 2018 की रात और समय 00:00 अंकित किया गया है। इस समय को दिनांक 12/13 फरवरी की रात्रि 12:00 बजे का माना जा सकता है, भले ही साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 इरफान एवं पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा घटना नौ या साढ़े नौ बजे या दस–ग्यारह बजे या साढ़े ग्यारह बजे की बतायी गयी हो किन्तु घटना की सूचना वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा लगभग 8–9 घण्टे बाद समय 8:49 ए.एम.पर दिनांक 13–02–2018 को दर्ज करायी गयी है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया है कि पी0डब्लू–1 इरफान एवं पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा घटना के समय घटनास्थल पर क्या–क्या और किस–किस तरह किये जाने का असत्य साक्ष्य दिया गया है लेकिन थाने पर सूचना वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा साढे आठ घण्टे बाद क्यों दर्ज करायी गयी जबकि चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–6 के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 04 कि0मी0 है। यदि पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा रात में एफ0आई0आर0 दर्ज नही करायी गयी तब पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा पूरी रात क्या किया गया जिस कारण अविलम्ब एफ0आई0आर0 थाने पर दर्ज नही करायी जा सकी। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

17– इसके अलावा पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा पृष्ठ–3 पर दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मैं ही अपने भाई इरफान को बुलाकर घटनास्थल पर लाया

था। मैं भाग कर बाग में बुलाने गया था जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा था तब अभियुक्त जीतू मृतक शमीम की हत्या कर चुका था। मैनें व भाई इरफान ने जीते को पकड़ने का प्रयास किया था "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि वह अपने भाई वादी पी0डब्लू–1 इरफान को घटनास्थल पर बुलाकर लाया था,जबकि वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में यह नही बताया गया है कि घटनास्थल पर या घटनास्थल के आसपास पी0डब्लू–2 भी मौजूद था। उपरोक्त साक्ष्य में पी0डब्लू–2 के द्वारा यह भी साक्ष्य दिया गया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तब अभियुक्त जीतू मृतक शमीम की हत्या कर चुका था जब कि पी0डब्लू–2 के द्वारा मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया गया है कि हाजिर अदालत जीतू ने मेरे सामने ही शमीम की हत्या की थी। इस प्रकार पी0डब्लू–2 सरताज के सामने घटना घटित होने के सम्बन्ध में स्वंय के साक्ष्य में विरोधाभासी साक्ष्य दिया जा रहा है, इतना ही नही पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा न्यायालय में दिया गया साक्ष्य एवं बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में दिये गये कथनों में भी विरोधाभास है। पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में दिया गया कथन इस प्रकार है कि " बीती रात्रि 12/13–02–18 की रात्रि की 9–10 बजे के बीच की घटना है शोर शराबे की आवाज सुनकर हम लोग भाग कर राजगार्डन आम के बाग में पहुंचे तो देखा कि जीतू किस्पोटा जो राजगार्डन में शमीम के साथ काम करता था फावड़ा हाथ में लिये शमीम जो कि जमीन पर लहुलूहान हालत में पड़ा था वहीं पर खड़ा था। इरफान चिल्ला रहा था कि जीतू किस्पोटा ने शमीम को मार दिया इसे पकड़ो हम लोग जीतू को पकड़ने के लिये दौड़े तो जीतू किस्पोटा फावले को फैंक कर बाग के अंदर भाग निकला चूंकि रात्रि का वक्त था अंधेरा हो रहा था। उसे हमने काफी तलाश किया था मगर वह हाथ नही लगा "। इस प्रकार उपरोक्त बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा यह नही बताया गया कि उसने स्वंय घटना को घटित होते हुए देखा। इसके अलावा बयान अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 में पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त मौके पर फावड़ा छोड़कर बाग के अंदर भाग निकला जबकि न्यायालय में साक्ष्य के दौरान उसके द्वारा बताया गया है कि अभियुक्त फावड़ा लेकर अंधेरे में बाग में भाग गया। इस प्रकार पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा न्यायालय में दिया गया साक्ष्य एवं बयान अंर्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में दिये गये कथनों में परस्पर विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

18– इसके अलावा अभियुक्त की फर्द गिरफतारी को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित कराया गया है जिसमें उल्लेख इस प्रकार है कि " दिनांक 14–02–2018 को मुझ एस0ओ0 धर्मेन्द्र सिंह राठौर मय हमराही कर्मचारीगण पुलिसकर्मीगण समय 9:27 बजे क्षेत्र शान्ति व्यवस्था तलाश व दबिश वांछित अभियुक्त इलाका में मामूर था कि जरिये दूरभाष मेरे व्यक्तिगत फोन नम्बर– 9560944873 पर मोबाईल नम्बर–9639415997 से विनीत पुत्र धारा ग्राम टेहरकी द्वारा सूचना दी गयी थी कि साहब आपके मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त जिसने कल राजगार्डन में शमीम की हत्या की थी उसे पब्लिक ने घेर घोट कर राजगार्डन में ही पकड़ रखा है तथा पब्लिक द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर मुझ एस0ओ0 द्वारा थाना हाजा से एस0एस0आई0 मुकेश कुमार,एस0आई0 दुर्गेश कुमार,सुबोध कुमार को हस्ब तलब कर मौके पर पहुंचे तो राजगार्डन में काफी भीड़ इकट्ठा है तथा भीड़ काफी आक्रोशित है तथा एक व्यक्ति की पिटाई कर रही है तभी मृतक शमीम के भाई इरफान ने बताया कि यह वही व्यक्ति है जिसने कल मेरे भाई की फावड़े से हत्या की थी जिसे हम लोगों ने पकड लिया है,पकड़ने में लोगों के द्वारा उसकी पिटाई की गयी है जिससे इसको चोटें आयी हैं। पकड़े गये व्यक्ति

से इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा निवासी ग्राम सरगांव थाना मंडेर जिला रांची बताया है जो कि थाना हाजा का मुकदमा अपराध संख्या 267 सन 2018 धारा 302 भा0द0स0 का नामजद एवं वांछित अभियुक्त है। अतः अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 15:20 बजे पब्लिक के व्यक्ति इरफान पुत्र शफीक,सरताज पुत्र शफीक,वसीम पुत्र मीनू समस्त निवासीगण मिलक थाना सरधना,मेरठ के कब्जे से हस्ब कायदा हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द लेने कब्जे अभियुक्त मौके पर मुझ एस0ओ0 द्वारा बोल–बोल कर एस0एस0आई0 श्री मुकेश कुमार से तैयार करायी गयी "। इस प्रकार प्रदर्श क–2 फर्द गिरफ्तारी का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त जीतू किस्पोटा को राजागार्डन से ही एस0ओ0 धर्मेन्द्र सिंह राठौर द्वारा अभिरक्षा में लिया गया था क्योंकि राजागार्डन में पब्लिक ने अभियुक्त को पकड़कर उसके साथ मारपीट भी किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श क–2 पर वादी पी0डब्लू–1 इरफान व एस.ओ. धर्मेन्द सिंह राठौर के हस्ताक्षर भी हैं जबकि इसी बिन्दु पर वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा पृष्ठ–8 के पीछे वाले भाग पर अन्तिम पैरा में दिया गया साक्ष्य इस प्रकार है कि " मुझे दिन में लगभग एक बजे सूचना मिली थी कि अभियुक्त जीतू को पब्लिक ने पकड़ लिया है। यह सूचना मेरे गांव के वली मौहम्मद ने दी थी। सूचना मिलने पर हम सरधना चर्च पर पहूंचे थे व जीते को पकड़ लिया था व थाने पर लेकर आये थे व गिरफ्तार करा दिया था। थाने पर गिरफ्तारी के वक्त लिखत–पढ़त हुयी थी व मेरे हस्ताक्षर कराये थे "। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य में वादी पी0डब्लू–1 इरफान के द्वारा स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि सरधना चर्च पर अभियुक्त को पकड़ कर रखा गया था और सूचना पर वादी पी0डब्लू–1 इरफान वहां पर पहुंचा था और वहां से अभियुक्त को थाने लाया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था तथा थाने पर ही इसकी लिखा पढ़ी हुयी थी। इस प्रकार वादी पी0डब्लू–1 इरफान के उपरोक्त साक्ष्य से फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श क–2 में उल्लिखित यह बात कि पी0डब्लू–6 धर्मेन्द्र सिंह राठोर भी सूचना मिलने पर दिनांक 14–02–2018 को राजागार्डन पहुचें जहां आक्रोशित भीड़ ने अभियुक्त को पकड़ा हुआ था,पूरी तरह से असत्य साबित हो जाती है इसलिये बचाव पक्ष के विद्धान अधिवक्ता के द्वारा बलपूर्वक यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये किसी भी साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नही किया जा सकता है।

19– थाने पर घटना की रिपोर्ट दिनांक 13–02–2018 को 8:49 ए.एम. पर दर्ज हुयी किन्तु यह मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–02–2018 को पहुंची। इस प्रकार सम्बन्धित मजिस्टेट न्यायालय को इसकी चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–06 पूरे 03 दिन पश्चात् अर्थात दिनांक 16–02–2018 को पहुंची। इस प्रकार दिनांक 13–02–2018 को दर्ज हुयी इस प्रकरण की रिपोर्ट सम्बन्धित मजिस्टेट न्यायालय को 03 दिन के पश्चात प्रेषित की गयी,जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **2004 (1) J.I.C.522 (SC) KUNJU M0HAMMED @ KHUMANI & ANR. V/S STATE OF KERALA जिसें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त–2003 को निर्णीत किया गया है,** उसमें माननीय न्यायालय द्वारा थाने पर 36 घण्टे बाद प्रेषित की गयी एफ0आई0आर0 को विलम्ब से प्रेषित किया गया माना गया है जबकि इस प्रकरण में एफ0आई0आर0 03 दिन(लगभग 72 घण्टे) बाद प्रेषित की गयी है। जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

20– इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं साक्षीगण के साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज की उपस्थिति घटना के समय घटनास्थल पर साबित नही हो पा रही है। इसके

अलावा तथ्य के दोनों साक्षीगण पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज के साक्ष्यों में गम्भीर प्रकृति के विरोधाभास एवं विसंगतियां हैं इसके अतिरिक्त विवेचक निरीक्षक,धर्मेन्द्र सिंह राठौर पी0डब्लू–6 के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी का उल्लेख फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श क–2 में किया गया है। प्रदर्श क–2 पूरी तरह से फर्जी साबित हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होना नही माना जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्यों के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी पी0डब्लू–1 इरफान व पी0डब्लू–2 सरताज के साक्ष्यों में इतने अधिक विरोधाभास एवं विसंगतियां हैं जिससे न तो उनकी उपस्थिति घटना के दिनांक एवं समय पर घटनास्थल पर साबित हो रही है और न ही उनके साक्ष्य पर विश्वास किये जाने का कोई न्यायोचित एवं तर्कसंगत आधार पाया जा रहा है।

(i) **इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाः–**
<u>महावीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य दाण्डिक अपील संख्या 1141 सन 2007 में पारित निर्णय दिनांकित 09–11–2016</u> में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है किः–

> **"It is the duty of the Apex Court to separate chaff from the husk and to dredge the truth from the pandemonium of Statements. It is but natural for human beings to state variant statements due to time gap but if such statements go to defeat the core of the prosecution then such contradictions are material and the Court has to be mindful of such statements . The case in hand is a fit case, wherein there are material exaggerations and contradictions, which inevitably raises doubt which is reasonable in normal circumstances and keeping in view the substratum of the prosecution case, we cannot infer beyond reasonable doubt that the appellant caused the death of the deceased."**

माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण में भी अभियोजन साक्षीगण विशेष रूप से वादी व पी0डब्लू–2 सरताज के द्वारा साक्ष्य बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है जिससे पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–2 के साक्ष्य में इतने अधिक विरोधाभास एवं विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं जिससे यह तथ्य बहुत अधिक संदिग्ध हो जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण की घटना घटित होने के समय वे घटनास्थल पर मौजूद हों तथा उनके द्वारा घटना घटित होते हुये देखी गयी हो।

(ii) इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Harijana Thirupala vs. Public Rrosecutor (2002) 6 SCC 470 : 2002 SCC SCC (cri) 1370 Para 11 में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–**

> **"In cases where the court entertainst reasonable doubt regarding guilt of the accused the benefit of doubt should go in favour of the accused. At the same time, the court must not reject the evidence of the prosecution takeing it as false, untrustworthy or unriliable on fanciful grounds or on the basis of confectuses & Surmises. The case of prosecution must be judged as a whole having regard to the totality of the evidence. In appreciating the evidence the approch of the court must be intigrated not truncated or isolated. In other words, the impact of the evidence in totality on the prosecution case or innocence of the accused has to be kept in mind in coming the conclusion as to the guilt or otherwise of the accused. In reaching a conclusion about the guilt of the accused, the court has to appreciate, analyse & assess the evidence placed before it bey the**

yardstick of probilities, its intrinsic value & the animus of witness. It must be added that ultimately & finally the decision in every case depends upon the facts of each case."

(iii) इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Shanker Vs State of M.P decided on 18 April 2018 (SC) के पैरा–17** में अवधारित किया गया है कि:–

" **Before going to award conviction against an accused for the offence under Section 302, IPC the Courts should be mindful of the fact that there should be no room to suspect the evidence of key prosecution witnesses based on whose evidence the conviction is being awarded. As a general rule, while appreciating evidence in a criminal case, the Court should bear in mind that it is not the quantity, but the quality of evidence that is material. It is the duty of the Court to consider the trustworthiness of the witness and the evidence adduced on record and to assess the same in a prudent manner whether the same inspires confidence so as to accept and act upon, before convicting an accused."**

उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जब विचारण न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है तब इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिये कि न्यायालय साक्ष्य की **Quality** का ध्यान रखे न कि **Quantity** का और न्यायालय का यह दायित्व है कि जघन्य अपराधों में अभियुक्त की दोषसिद्धी के लिये अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिए जबकि इस प्रकरण में अभियोजन कथानक के तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य में एवं अभियोजन कथानक में इतनी अधिक विसंगतियां एवं विरोधाभास है जिसका विश्लेषण उपरोक्त ढंग से किया जा चुका है और अभियोजन कथानक एवं उसके साक्ष्य में आयी उपरोक्त विसंगतियां एवं विरोधाभासों के कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्ष्य का विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता भी नही रह जाती है और अभियोजन कथानक बलहीन साबित होता है।

21– इस प्रकार अभियोजन पक्ष पेश साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त जीतू किस्पोटा के विरूद्ध धारा 302 भा०द०सं० के अंर्तगत लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूर्ण रूपेण असफल रहा है। अभियुक्त को उस पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्त जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा को धारा 302 भा०द०सं० के अंर्तगत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा दौरान विचारण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध है। उसका रिहाई आदेश जेल अधीक्षक जिला कारागार, मेरठ को इस निर्देश के साथ निर्गत किया जाये कि यदि अभियुक्त जीतू किस्पोटा पुत्र एतवा किस्पोटा किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो उसे इस प्रकरण में अविलम्ब रिहा किया जाये।

धारा 437A द०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त अंकन 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का 01 प्रतिभू 10 दिवस की अवधि में (जेल से रिहा के उपरांत) इस आशय की निष्पादित व दाखिल करें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध अपील होती है तो वे नोटिस पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष स्वंय को प्रस्तुत करेगें ।

माल मुकदमाती वस्तु प्रर्दश–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–19 मियाद अवधि तक सुरक्षित रखे जायें। इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार तथा अपील न होने की स्थिति में बाद मियांद अपील उन्हें नियमानुसार विनष्ट किया जाये।

दिनांक 22–07–2026

(राकेश कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–1
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 22–07–2026

(राकेश कुमार–पंचम)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–1
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.07.24 14:22:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court